स्वयं सहायता समूह

मार्गदर्शिका

ग्राविस

स्वयं सहायता समूह
मार्गदर्शिका

ग्राविस

स्वयं सहायता समूह
मार्गदर्शिका

तकनीकी सहयोग

हैडकॉन

हैल्थ, एनवायरनमैन्ट एण्ड डवलपमैन्ट कन्सोर्टियम
67 / 145, प्रताप नगर, सांगानेर,
जयपुर, 302022 (राजस्थान)
फोन: 0141–2792994 फैक्स : 0141–2790800
ई–मेल : hedcon2004@yahoo.com
वेबसाईट : www.hedcon.org

प्रकाशक

ग्राविस

ग्रामीण विकास विज्ञान समिति,
3 / 458, मिल्कमैन कॉलोनी,
पाल रोड, जोधपुर, 342008 (राज.)
फोन : 0291–2785317 फैक्स : 0291–2785549
ई–मेल : gravis@datainfosys.net
वेबसाइट : www.gravis.org.in

सहयोग

आईडैक्स, यू.एस.ए.

विषय सूची

- स्वयं सहायता समूह
- सूखा प्रबंधन के क्षेत्र में एस.एच.जी. की भूमिका
- स्वयं सहायता समूह क्या है ?
- एस.एच.जी. की परिभाषा
- सदस्यता
- सगोष्ठियाँ
- आजीविका के विकल्प
- स्वयं सहायता समूह के निर्माण तथा संचालन में बैंको की भागीदारी
- ऋण देने के लिये बैंक का मापदण्ड
- स्वयं सहायता समूह के लिये सरकार तथा बैंक द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ
- केस स्टडी
- ऋण हेतु आवेदन

स्वयं सहायता समूह

आज भारत वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहा है, जिसमें समाज को हर दृष्टि से ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। महिलाएं हो या पुरुष सभी को समानता का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। भारत आर्थिक क्षेत्र में भी अपना दबदबा विश्व में बना रहा है। भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गाँव में रहती है। हम कह सकते हैं कि भारत के इस प्रगतिशील चरण में गाँवों का काफी बड़ा योगदान है।

पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढांचे में स्वयं सहायता समूह तेजी से उभर कर आया है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये समूह आर्थिक सशक्तिकरण का उदाहरण बन गए हैं और ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान में सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। गाँवों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर रही हैं। आज सम्पूर्ण भारत में महिला "स्वयं सहायता समूह" की संख्या अधिक होने के साथ–साथ इनका प्रदर्शन भी सबसे अच्छा है।

'स्वयं सहायता समूह' के निर्माण के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की IDEX नामक संस्था ने भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। IDEX आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका में कार्य कर रही है। इस संस्था की सहभागी संस्थाएं सामाजिक क्षेत्र में प्रमुखता से कार्य कर रही हैं। ग्राविस (ग्रामीण विकास विज्ञान समिति) ऐसी ही एक सहभागी संस्था है जो पश्चिमी राजस्थान में सूखा प्रबन्धन तथा समुदाय के आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रही है।

सूखा प्रबन्धन : — राजस्थान एक बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ कृषि मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर करती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ अधिकतर अकाल रहता है। अकाल के समय जीवन को सुचारु रुप से चलाने के लिए पशुधन, पेयजल, खाद्य पदार्थों तथा रोजगार की सुविधाओं को व्यवस्थित करने के ढंग को अकाल प्रबन्धन कहते है।

सूखा प्रबन्धन के क्षेत्र में IDEX, ग्राविस के साथ मिलकर राजस्थान के जोधपुर जिले के 20 गाँवों में कार्य कर रहा है। इस संस्था के निम्न उद्देश्य हैं —

- प्रत्येक गाँव में सूखे से बचाव के लिये ग्रामीणों को वर्षा जल संरक्षण एवं खाद्य संग्रहण संबंधी प्रशिक्षण देना।
- महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ–साथ उनका सशक्तिकरण करना।
- छोटी–बड़ी संस्थाओं को सूखा प्रबन्धन के लिये प्रशिक्षण देना।
- क्षेत्रीय फोरम की स्थापना करना जो सूखा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य करें।
- पशुओं के लिये चारा उपलब्ध कराना।

सूखा प्रबन्धन के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी :—

राजस्थान में कृषि जीविका का मुख्य आधार है। परन्तु सीमित वर्षा के कारण अकाल के वर्षों में कृषि

की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग आजीविका की तलाश में पलायन करते हैं। परन्तु स्वयं सहायता समूह की मदद से गाँव में ही वैकाल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगे हैं और ऋण लेकर लोग अन्य रोजगार भी प्रांरभ कर पा रहे हैं।

स्वयं सहायता समूह न केवल आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये कार्य कर रहे हैं अपितु सामाजिक स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह सूखा प्रबन्धन के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति में गाँवों में टाँका, नाड़ी तथा खड़ीन जैसी विधियों के लिये ग्रामीणों को प्रेरित करके वर्षा के पहले इनके निर्माण में मदद कर सकते हैं तथा वर्षा का जल इन विधियों के जरिये एकत्र करके सूखा या अकाल के समय प्रयोग करने के लिये जागरुकता फैला सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों को चाहिये कि वे लोगों को खाद्य पदार्थों को भी एकत्रित करने के लिये जागरुक करें।

स्वयं सहायता समूह क्या है? : – स्वयं सहायता समूह पंजीकृत या अपंजीकृत समूह हैं जो सामाजिक या आर्थिक रुप से कमजोर महिलाओं या पुरुषों को एकत्र कर बनाये जाते हैं, जिसमें अल्प बचत के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक विकास के लिये स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 महिला या पुरुष सदस्य होते हैं। ये समूह स्वयं के प्रशासन से चलाये जाते हैं।

समूह के माध्यम से महिलाओं एवं पुरुषों को दिनभर की कमाई का कुछ हिस्सा समूह में खाता खोलकर जमा कराना अल्प बचत कहलाता है। फिर उन्हीं रुपयों को बैंक में जमा किया जाता है जिसके माध्यम से भविष्य में आवश्यकतानुसार बहुत ही कम ब्याज दर में ऋण की प्राप्ति हो सकती है।

स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य : –

- महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ाना।
- सामुदायिक विकास एवं समूह में कार्य करने की भावना को बढ़ाना।
- बचत के लिये प्रेरित करना।
- आजीविकावर्धन, आर्थिक विकास एवं स्थायित्व।
- महिला सशक्तिकरण एवं क्षमतावर्धन।
- स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- महिलाओं के आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना।
- महिलाएं समूह में बैठकर रुचि अनुसार कार्य कर सकें तथा मनोरंजक गतिविधियों के लिये समय निकाल सकें।

स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु इन स्थानों से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

- ग्राम पंचायत
- ग्रामीण बैंक
- ग्राम विकास समिति

- स्थानीय गैर सरकारी संस्था
- आंगनबाड़ी केन्द्र व कार्यकर्ता
- ग्राम प्रधान, सरपंच, पंच, ग्रामीण विकास अधिकारी

किसी स्वयं सहायता समूह के निर्माण के पश्चात् उस समूह के मुख्य मुद्दे –

1. समूह को मजबूत बनाना तथा सामाजिक मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई तथा पेयजल आदि पर कार्य करना।
2. सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं का शोषण आदि के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाना। वित्त सम्बन्धी कार्यक्रमों को मजबूत बनाना एवं पारदर्शिता।
3. रुचि एवं सामर्थ्य के अनुसार आजीविका की खोज।

सदस्यता : –

- एक परिवार से केवल एक सदस्य।
- समूह या तो पुरुषों द्वारा बनाया गया हो, या सिर्फ महिलाओं द्वारा। मिश्रित समूहों (पुरुष और महिला) को बैंक प्राथमिकता नहीं देते हैं।
- समूह के सभी सदस्य एक ही सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के होने चाहिये।

स्वयं सहायता समूह के सदस्य होने के सामान्य कारक : –

- सदस्य गरीब परिवार से सम्पर्क रखता हो।
- वे परिवार जो जमींदारों पर निर्भर रहते हैं।
- जिनकी महीने में 250 रुपये से ज्यादा की कमाई न हो।
- जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा (सूखी भूमि) बंजर भूमि न हो।

सदस्यों के रहन सहन के आधार पर प्राथमिकता : –

(i) कच्चा मकान हो व शौचालय की सुविधा न हो।
(ii) स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध न हो।
(iii) जिनके परिवार में कमाने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो या एक भी न हो।
(iv) अशिक्षित वयस्कों की संख्या अधिक हो।
(v) घर में कोई नशे का आदी हो या फिर लम्बे समय से बीमार चल रहा हो।
(vi) घर में 5 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे हों।
(vii) परिवार में भोजन दो बार या मुश्किल से एक बार किया जाता हो।
(viii) अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवार हों।

यदि उपरोक्त दिये गये बिंदुओं में से एक परिवार में कम से कम चार कारक पाये जाते हैं तो वह गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों में आयेगा, और इस परिवार का एक सदस्य स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है।

("यह केवल उदाहरण मात्र है, आप उस स्थान के कुछ ऐसे कारकों को भी ले सकते हैं, जो वहाँ की परिस्थिति के लिए महत्त्वपूर्ण हों।")

स्वयं सहायता समूहों के गठन की प्रक्रिया : – यह पाँच चरणों में बनाया जाता है।

(i) **समूह निर्माण के पूर्व की प्रक्रिया (0 से 1 महीना) : –** किसी भी समूह निर्माण के पहले हमें गाँव में पंचायत, महिलाओं तथा पुरुषों को अपने उद्देश्यों के विषय में पूर्ण जानकारी देनी चाहिये। सदस्यों से बात करके उनकी आवश्यकताओं, स्थिति तथा इच्छाओं के विषय में जानकारी लेनी चाहिये। समूह निर्माण के पूर्व सदस्यों से उनकी दिनचर्या में खाली समय के बारे में जानना चाहिए ताकि समूह निर्माण के बाद समय की समस्या न हो।

(ii) **समूह निर्माण (2 से 4 महीने) : –** 15 से 20 सदस्यों की संख्या के समूह निर्माण करें तथा हर समूह को अलग नाम दें। कोशिश करें कि समूहों के नाम देवी–देवताओं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर हों, ताकि सदस्य उनसे प्रेरित होकर अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकें। समूह के सभी सदस्यों की अनुमति से समूह में ही पदाधिकारियों का चयन करें ताकि समूह सुचारु रुप से चल सके। ये पद निम्नानुसार हैं –

- अध्यक्ष
- सचिव
- कोषाध्यक्ष

संगोष्ठियाँ

समूहों के द्वारा गोष्ठियाँ नियमित अंतराल पर साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक होनी चाहिए। समूह के नियमित संचालन के लिये कुछ रजिस्टर बनाने चाहिए, ताकि सभी सदस्यों का रुझान आ सके।

ये रजिस्टर निम्न हैं –

1. **मिनट बुक : –** इस रजिस्टर में मीटिंगों के नियम, उद्देश्य तथा सभी सदस्यों के नाम, उम्र, आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों का लेखा जोखा आदि होना चाहिए।
2. **बचत तथा ऋण रजिस्टर : –** बचत रजिस्टर में सभी सदयों के द्वारा की गयी व्यक्तिगत बचत तथा कुल बचत को दर्शाना चाहिये। इसी तरह लोन रजिस्टर में किसी भी सदस्य द्वारा लिया गया ऋण तथा उसकी अदायगी, कितना ब्याज एकत्रित हुआ तथा कितना ऋण शेष बचा आदि को समाहित करना चाहिये।
3. **साप्ताहिक रजिस्टर : –** इस रजिस्टर में एक सप्ताह में सदस्यों द्वारा की गयी बचत लिखनी चाहिए तथा प्रत्येक मीटिंग में इसे संशोधित करते रहना चाहिये।
4. **सदस्यों की पासबुक : –** सभी सदस्यों को व्यक्तिगत बचत के लिये प्रोत्साहित करते रहना चाहिये, जिसके लिये बैंक में उनका व्यक्तिगत खाता भी खोलना चाहिये।

   इस चरण के अन्तर्गत सदस्यों को उनके उद्देश्य, इच्छाओं तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरुक किया जाना चाहिये तथा अशिक्षित सदस्यों को शिक्षित किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये ताकि वे अपने खातों का संचालन स्वयं कर सकें। इसके साथ ही सदस्यों से गाँवों के मानचित्र, उनके स्वास्थ्य तथा उनकी आर्थिक स्थिति के विषय में भी जानकारी लेनी चाहिये तथा उन्हें सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में बताना चाहिये।

(iii) **स्थिरता (5 से 8 महीने) : –** इस चरण के अन्तर्गत समूह के सदस्यों के बैंक खाते खुलवाने चाहिये तथा अल्प बचत के विषय में जानकारी देने के साथ–साथ उन्हें जागरुक भी करना चाहिये। सदस्यों को बैंक के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताना चाहिये।

(iv) **वृद्धि (9 से 18 महीने) : –** इस चरण के अन्तर्गत समूह को गति प्राप्त हो जाती है और वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तत्पर रहने लगता है, अर्थात सदस्यों को ऋण दिलाना चाहिये तथा लघु उद्योग व पशुपालन के साथ–साथ कुटीर उद्योग की शुरुआत भी करनी चाहिये।

(v) **आजीविका की पूर्ति (18 से 36 महीने) : –** समूह के प्रत्येक सदस्य का आंकलन करना तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक या मानसिक स्थिति का पता लगाना तथा साथ ही यह भी देखना कि समूह निर्माण के बाद उनकी प्रारंभिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। इस समय समाज के प्रति उनकी क्या भूमिका है, इसका भी आकलन करना चाहिये।

आजीविका के विकल्प : – स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पशुपालन या कृषि ही आजीविका का साधन मात्र नहीं है वरन् यदि सदस्यों में उत्साह हो तो छोटे–छोटे कुटीर उद्योग भी लगा सकते हैं।

- **पशुपालन : –** भेड़, बकरी, ऊँट, गाय, भैंस आदि के माध्यम से सदस्य दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं तथा भेड़ व ऊँट के बाल ऊन के उत्पादन में भी सहायक हो सकते हैं।
- **लघु उद्योग / कुटीर उद्योग :–** स्वयं सहायता समूह तथा सदस्यों के विकास में लघु उद्योगों / कुटीर उद्योगों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है, जिन्हें सदस्य अपने घर या स्वयं सहायता समूह में ही उपस्थित सभी सदस्यों के साथ मिलकर आरम्भ कर सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग से लेकर उद्योग के आरम्भ होने तक बहुत ही कम लागत आती है तथा आर्थिक नुकसान का भय कम रहता है। इनमें से कुछ लघु उद्योग / कुटीर उद्योग निम्न हैं।

- मोमबत्ती उद्योग
- मसाला उद्योग
- माचिस उद्योग
- दुग्ध उद्योग
- फोटो फ्रेम उद्योग / बाँस उद्योग
- साबुन / सर्फ उद्योग
- रंग उद्योग
- डलिया उद्योग
- सिलाई एवं कढ़ाई उद्योग
- पेपर मैशी उद्योग
- अचार उद्योग
- पापड़ उद्योग
- कपड़ा बैग उद्योग
- ऊन उद्योग
- रेडीमेड कपड़ा उद्योग
- गोंद उद्योग
- झाड़ू उद्योग
- लघु चर्म उद्योग
- मिट्टी के खिलौने
- आटा चक्की उद्योग आदि।

इन सभी के साथ–साथ कृषि उद्योग में सब्जी उत्पादन प्रमुख है, जिसे सदस्य बहुत ही अल्प राशि के साथ प्रारंभ कर सकते हैं।

स्वयं सहायता समूहों के निर्माण तथा संचालन में बैंकों की भागीदारी : – स्वयं सहायता समूह के निर्माण में आज केन्द्र तथा राज्य सरकार का एक अलग ही नजरिया बन चला है, आज सरकार गाँवों में भारत के विकास की कुन्जी को तलाश रही है। यही कारण है कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के जरिये आसानी से ऋण उपलब्ध करा रही है। सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिये विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन बैंकों के द्वारा ही सम्भव होता है, क्योंकि बैंकों में ही स्वयं सहायता समूह के खाते खोले जाते हैं तथा इन्हीं के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को ऋण की प्राप्ति होती है। बैंक प्रमुख रुप से सरकार के सपनों को यथार्थ में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। इनमें से कुछ बैंक प्रमुख हैं।

1. **भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)**
2. **भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.)**

सरकार की तरफ से जितने भी कार्यक्रम बनाये जाते हैं वे सभी नाबार्ड द्वारा ही प्रमुखता से लागू किये जाते हैं तथा भारतीय स्टेट बैंक इन कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंक स्वयं सहायता समूहों को मदद करते हैं।

- पंजाब नेशनल बैंक
- विजया बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- इलाहाबाद बैंक
- बैंक ऑफ इण्डिया
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने नाबार्ड द्वारा सन् 1992 में चलाये गये पायलेट प्रोजेक्ट "स्वयं सहायता समूह – बैंक क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम" में प्रमुखता से हिस्सा लिया। जिसके अन्तर्गत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने मार्च सन् 2006 तक 6,30,067 बैंक खाते स्वयं सहायता समूहों के खोले, जिनमें से सबसे ज्यादा खाते महिला स्वयं सहायता समूहों के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया भारत में उपस्थित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा व्यवसायिक बैंकों की तुलना में 47 प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों को अनुदान राशि प्रदान कर रही है।

13 सितम्बर सन् 2005 को नाबार्ड द्वारा 15 स्वयं सहायता समूहों को चुना गया जिन्हें आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पारितोषिक प्रदान किया। इसी तरह से अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार के कार्यक्रमों को नाबार्ड के द्वारा चलायी गयी योजना "स्वयं सहायता समूह – बैंक क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम" के माध्यम से पूरा कर रहे हैं।

ऋण के लिये बैंक का मापदण्ड : – बैंकों के द्वारा किसी स्वयं सहायता समूह को ऋण देने के पहले निरीक्षण चिन्ह।

क्र.सं.	निरीक्षकीय कारक	बहुत अच्छा	अच्छा	असंतुष्ट
1	समूह आकार	15 से 20	10 से 15	10 से कम
2	सदस्यों के प्रकार	केवल बहुत गरीब सदस्य	दो या तीन सदस्य बहुत गरीब नहीं है	बहुत से सदस्य गरीब नहीं है
3	संगोष्ठी की संख्या	एक महीने में चार संगोष्ठियां (साप्ताहिक)	एक माह में दो संगोष्ठियां	एक माह में 2 से कम संगोष्ठियां
4	संगोष्ठी का समय	रात में या सायं 6 बजे के बाद	प्रातः 7 बजे से 9 बजे के बीच में	अनिश्चित समय
5	सदस्यों की उपस्थिति	90 प्रतिशत से अधिक	70 से 90 प्रतिशत	70 प्रतिशत से कम
6	सदस्यों की सहभागिता	भागीदारी का उच्च स्तर	मध्यम स्तर की भागीदारी	निम्न स्तर की भागीदारी
7	सामूहिक बचत की संख्या	एक माह में 4 बार	एक माह में 3 बार	एक माह में 3 बार से कम
8	बचत राशि	हर बार बराबर धन राशि जमा होती है	हर बार अलग-अलग धन राशि जमा होती है	
9	आन्तरिक कर्ज पर ब्याज दर	उद्देश्यों पर निर्भरता	24 से 36 प्रतिशत ब्याज	36 प्रतिशत से अधिक
10	स्वयं सहायता समूह द्वारा बचत धन राशि का उपयोग	संपूर्ण धनराशि का उपयोग सदस्यों को लोन देने में	संपूर्ण धनराशि का कुछ भाग लोन देने में	उदासीन उपयोग
11	कर्ज अदायगी	90 प्रतिशत से अधिक	70 से 90 प्रतिशत	70 प्रतिशत से कम
12	अभिलेखों का रखरखाव	सभी अभिलेखों का नियमित रखरखाव तथा नवीनीकरण	सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रजिस्टरों (बचत, मिनट, लोन आदि) का नवीनीकरण	किसी भी प्रकार का रखरखाव या नवीनीकरण नहीं
13	बचत धनराशि	5000 रुपये से अधिक	3000 से 5000	3000 रुपये से कम
14	स्वयं सहायता समूहों के नियमों के बारे में जानकारी	सभी सदस्यों को जानकारी	बहुत से सदस्य नियमों को जानते हैं, कुछ को कम जानकारी है	कोई सदस्य नहीं जानता
15	शैक्षिक स्तर	20 प्रतिशत से अधिक सदस्य शिक्षित हैं	20 से 30 प्रतिशत सदस्य शिक्षित हैं	20 प्रतिशत से कम सदस्य शिक्षित हैं
16	सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी	सरकारी कार्यक्रमों के प्रति सभी जागरुक हैं	बहुत से सदस्य सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी रखते हैं।	कोई सदस्य नहीं जानता

नोट : उपरोक्त ग्रेडिंग तालिका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार है, जिसमें क्रम संख्या 2,3,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16 नाबार्ड की ग्रेडिंग तालिका के अनुसार हैं।

उत्तम वर्ग :
- समूह द्वारा 12–16 कारकों का बहुत अच्छा पालन।
- बैंक से ऋण प्राप्ति संभव।

मध्यम वर्ग :
- समूह द्वारा 10–12 कारकों का संतोषजनक पालन।

- 3–6 माह तक सुधार करने के बाद बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

निम्न वर्ग :
- समूहों द्वारा 10 कारकों से भी कम कारकों का असंतोषजनक पालन।
- समूह बैंक से ऋण का हकदार नहीं होगा।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण की प्राप्ति

- ऋण हमेशा स्वयं सहायता समूह के नाम से ही पास होता है।
- स्वयं सहायता समूह को मिलने वाला ऋण इसके द्वारा की गयी बचत का एक से चार गुना होता है।
- समूह को ऋण कई उद्देश्यों के लिये मिल सकता है, जैसे घर में किसी का विवाह हो, बीमारी के लिए, या फिर कोई रोजगार शुरु करना हो।
- जो भी महिला/पुरुष ऋण लेने का इच्छुक है वह पहले अपना उद्देश्य अपने समूह के अन्य सदस्यों को बतायेगा, यदि उसका उद्देश्य सही है और उसे ऋण की वास्तविक आवश्यकता है तो सभी सदस्यों की सहमति से उसको ऋण प्राप्त होगा।
- उस ऋण का भुगतान समूह के द्वारा किया जायेगा।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/नाबार्ड ने अपने नियमों में कहा है कि किसी भी तरह की जमानत समूह को ऋण लेते समय जमा नहीं करानी पड़ेगी।
- बैंक 2 से 3 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण निर्धारित करता है। कुछ बैंक 5 से 10 प्रतिशत ब्याज दर भी लेते हैं।

ऋण के लिये कुछ निर्धारित प्रपत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जो निम्न हैं : –

- आन्तरिक इकरारनामा जो समूह के तीन जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा बैंक को दिया जाता है।
- आवेदन पत्र जो बैंक की शाखा में ऋण के लिये प्रस्तुत किया जाता है।
- बैंक और समूह के बीच का करारनामा पत्र जो ऋण लेने के समय बनाया जाता है।

इसके अतिरिक्त किसी बड़े ऋण के लिये निम्न प्रपत्र जमा कराने चाहिये : –

- किसी गैर सरकारी संस्थान का प्रतिभूत पत्र।
- किसी गैर सरकारी संस्था का आवेदन पत्र बैंक को जमा किया जायेगा जिसमें समूह को ऋण देने के लिये निवेदन हो।
- अनुबंध पत्र जब बैंक किसी एन.जी.ओ को ऋण देगी। (इस अनुबंध पत्र से यह निर्धारित होता है कि यह अनुबंध गैर सरकारी संस्थान तथा बैंक के मध्य है, जिनके इकरारनामे से समूह को ऋण प्राप्त हो रहा है।)

इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह को ग्रेडिंग प्रणाली के अन्तर्गत दुबारा ऋण प्रदान किया जा सकता है। जिसके भुगतान के लिये सम्पूर्ण समूह जिम्मेदार होता है। उपरोक्त प्रपत्रों का प्रारु पुस्तिका के साथ अंकित है।

स्वयं सहायता समूह के लिये सरकार तथा बैंकों द्वारा चलायी जा रही योजनाएं

नाबार्ड द्वारा चलायी जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं : – स्वयं सहायता समूह को बैंकों से मित्रतापूर्वक संबंध बनाने के लिये नाबार्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, जो दो चरणों में होता है –

- समूह में प्रमुखता से कार्य करने वाले कुछ कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (समूह के सदस्यों के लिये।)

इसके अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं जो निम्न हैं –

- **आई.जी.ए. (आय वृद्धि क्रियाकलाप) : –** इसके अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा नाबार्ड आपसी सहयोग से महिलाओं को कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देते हैं, जैसे मेहंदी बनाना, कढ़ाई सिखाना, सिलाई सिखाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना आदि।

  इसके अतिरिक्त नाबार्ड के साथ कुछ अन्य विभाग भी कार्य कर रहे हैं जो स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण या उनके निर्माण में मदद कर रहे हैं। उदाहरणस्वरुप –

- कृषि विभाग
- डेयरी विभाग
- वन विभाग
- को–ऑपरेटिव विभाग
- शिक्षा विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) आदि।

इसी तरह भारत सरकार भी कुछ कार्यक्रम चला रही है, जैसे –

1. **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : –** यह योजना 1999–2000 में भारत सरकार ने जमीनी स्तर के लोगों को अल्प बचत करने को प्रेरित करने के लिये लागू की थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सरकार के द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम **"समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम"** के अन्तर्गत लागू की गयी है जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों को स्वरोजगार दिलाना है। वे या तो स्वयं या समूह में कार्य को कर सकते हैं। एक सफल स्वरोजगार के लिये आवश्यक है कि सही योजना को चुना जाये। इस उद्देश्य के लिये 4 से 5 गतिविधियाँ प्रत्येक ब्लॉक से चुनी जा सकती हैं। इन गतिविधियों को चुनने में आप सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ–साथ बैंकों की भी मदद ले सकते हैं।

   गाँव में समूह के सदस्य, गाँव के सरपंच, ब्लॉक विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) या अपने गाँव के समीपस्थ बैंक के मैनेजर से सहायता ले सकते हैं।

   इस योजना के अन्तर्गत जो भी समूह इस योजना को कार्यन्वित करते हैं वे पूर्णतः गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से होने चाहिये ताकि वे स्वयं इन सभी कार्यों को अपने तरीके से कर सकें, खुद निर्णय लें और खुद ही कार्य को करें।

   सरकार द्वारा किसी स्वयं सहायता समूह को या किसी विकलांग व्यक्ति को दी जाने वाली छूट : – जब किसी कार्य में 7500 से अधिक की राशि ली गयी है तो पूरी

राशि पर 30 प्रतिशत छूट सरकार द्वारा दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग व्यक्ति को 50 प्रतिशत की छूट मिलती है जब कार्य की राशि 10,000 रुपये से ज्यादा की हो तथा किसी स्वयं सहायता समूह के लिये छूट 50 प्रतिशत की दी जाती है जब राशि 10,000 रुपये या इससे ज्यादा की होगी। सिंचाई कार्यक्रम के लिये बैंक से नियमानुसार छूट मिलेगी।

2. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) :** – केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम को नवम्बर, सन् 2005 में लागू किया, जिसकी शुरुआत फ़रवरी, सन् 2005 में देश के 200 जिलों के साथ शुरु की गयी। परन्तु अब यह सम्पूर्ण देश के 600 जिलों में आरंभ कर दी गयी है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है तथा ग्रामीणों का आजीविका की खोज में गाँवों से पलायन को रोकना है।

   सरकार इन योजनाओं के अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों के द्वारा किसी अन्य आय वर्धक क्रिया कलापों के लिये ऋण लिये जाने पर उसमें कुछ छूट प्रदान करती है, जिसे बैंकों द्वारा अपने–अपने नियमों से प्रदान किया जाता है।

3. **सब्सिडी* :** – केन्द्र सरकार/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में दो तरह से छूट (सब्सिडी) प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत सरकार समूहों को 5 से 10 हजार रुपये तक की छूट देती है। जब समूह द्वारा कोई बड़ा कर्ज लिया जाता है, अर्थात 5 से 10 लाख रुपये किसी बड़े उद्देश्य को निर्धारित करके लिया जाता है तो सरकार द्वारा समूह को 1 लाख से 1 लाख 25 हजार रुपये तक की छूट दी जाती है।

***उपरोक्त सब्सिडी, समूह के सभी सदस्यों को मिलेगी चाहे वह गरीबी रेखा के ऊपर के सदस्य हो या गरीबी रेखा के नीचे के सदस्य हो।**

केस स्टडी

वैसे तो कई स्वयं सहायता समूह अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, परन्तु कुंछ समूहों ने अपने आपको उदाहरण के रुप में पेश किया, जो निम्न हैं : –

प्रसन्नता की एक मुस्कान

जोधपुर के एक गाँव लवेरा कलां में एक घर डाली जी का है, जो अपने समूह की सफलता के बारे में बताती है। डाली जी तथा कुछ अन्य सदस्य 'महादेव' नामक स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। इस स्वयं सहायता समूह को चलते हुए करीब 4 वर्ष हो गये हैं।

समूह की सबसे अच्छी बात यह रही कि इस समूह ने लोन के लिये पहली बार आवेदन करने से पहले ग्राविस के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर से प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा उसके बाद सामूहिक रुप से बैंक से ऋण प्राप्त किया, जिसे समूह के 10 सदस्यों में विभक्त किया। ऋण की सहायता से 2 महिलाओं ने मिलकर आटा चक्की ली, 5 महिलाओं ने सिलाई मशीनें खरीदी। 1 महिला ने जनरल स्टोर खोला, एक गाय खरीदी तथा एक अन्य महिला ने दो बकरियाँ तथा चारा खरीदा।

जिन सदस्यों ने ऋण लिया था आज वे अच्छे ढंग से ऋण का भुगतान कर रही हैं। डाली जी प्रतिमाह 250 रुपये ऋण के तथा 100 रुपये सामूहिक बचत के देती हैं। इसी तरह सोनम ने दो बकरियाँ ली थीं, जिनसे 8 बच्चे हुए। उसने चार बच्चों को 1500 रुपये के हिसाब से बेचा तथा अब तक वह 6000 रुपये कमा चुकी है। इसी तरह लाडू जी ने सिलाई मशीन खरीदी थी जिसकी सहायता से आज वह 1500 रुपये प्रतिमाह तक कमा लेती हैं। लाडू जी के अनुसार सामूहिक बचत बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि सामूहिक बचत से समूह के ही किसी जरुरतमंद सदस्य की मदद होती है। आज 'महादेव' समूह की सभी सदस्य बहुत ही प्रसन्न हैं तथा उन्होंने अपने रोजगार को और अधिक बढ़ाने के लिये सोच रखा है, ताकि उनके साथ–साथ समूह की स्थिति में भी और सुधार किया जा सके। उनकी आर्थिक रिथति सुधारने के लिये जयपुर ग्रामीण बैंक ने उनकी मदद की।

एक डाल के पंछी

यह कहानी जेलू गाँव के 'उजाला' स्वयं सहायता समूह की है। इस स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने समाज के सामने एक अलग मिसाल पेश करते हुये समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को सही साबित किया। इस स्वयं सहायता समूह की प्रमुख नीमा जी जो कि एक मुस्लिम महिला हैं, ने बताया कि इस समूह के गठन में सबसे बड़ा योगदान सायर कंवर जी का है। उन्होंने बताया कि सायर कंवर जी ने समाज का खुलकर सामना किया और आज उसी का परिणाम है कि 'उजाला' समूह में 2 राजपूत, 4 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम, 3 मेघवाल तथा 1 भील सदस्य हैं। हम सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक तथा साधारण वर्ग के लोग एक साथ एक जगह बैठकर कार्य करते हैं।

नीमा जी के पति गाँव के सरपंच हैं। नीमा जी ने बताया कि आज मैं गाँव की ग्राम विकास समिति की अध्यक्ष हूँ तथा आज हमारे पास 28 बीघा जमीन है, जिसमें हम पेड़–पौधे लगाकर उसे उपजाऊ बना रहे हैं।

आज 'उजाला समूह' समाज की सभी भ्रान्तियों तथा जंजीरों को तोड़ते हुए एक नये मुकाम पर खड़ा है। हम स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक मीटिंग में भाग लेते हैं तथा हर मीटिंग में हमारा अच्छा धन एकत्रित होता है। समूह का हर सदस्य अपने–अपने रोजगार में व्यस्त है तथा हम सभी समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः आप कह सकते हैं कि हम सभी "एक डाल के पंछी" हैं।

ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाला आवेदन–पत्र

- स्वयं सहायता समूह का नाम और पता :
- गठन /स्थापना की तारीख :
- योजना का नाम, जिसके अंतर्गत समूह गठित किया गया है :
- पंजीकृत : हाँ / नहीं :
- यदि पंजीकृत है तो पंजीयन संख्या और तारीख पंजीयन :
  (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि भी संलग्न करें)
- समूह के सदस्यों की संख्या :
- समूह को सहायता देने वाले एस.एच.पी.आई./एन.जी.ओ./वी.ए. का नाम (यदि कोई हो) :

दिनांक ....

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

भारतीय स्टेट बैंक

.... शाखा

जिला ....

ऋण हेतु आवेदन

प्रिय महोदय,

1. हम उपर्युक्त स्वयं सहायता समूह के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने हेतु कुल रुपये .... (रुपये ....) मात्र के ऋण हेतु आवेदन कर रहे हैं। हमारे समूह का वित्तीय विवरण दिनांक .... की स्थिति के अनुसार दिया गया है।

2. समूह को ऋण की आवश्यकता निम्न कार्य के लिये है –

	सदस्यों की संख्या	धनराशि
कृषि क्षेत्र :		रुपये
गैर कृषि क्षेत्र :		रुपये
अन्य कार्य :		रुपये
कुल :		रुपये

3. हम बैंक द्वारा यथा निर्धारित चुकौती अनुसूची के अनुसार ऋण राशि की चुकौती करने के लिये सहमत हैं।

4. समूह के सभी सदस्यों द्वारा सम्पादित परस्पर करारनामा की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ स्वयं सहायता समूह की ओर से हमें उधार लेने का प्राधिकार प्राप्त है।

5. हम एतद्द्वारा बैंक को यह प्राधिकृत करते हैं कि जैसा उचित समझें अपने बैंक में हमारे ऋण खाते से संबंधित कोई विवरण या सूचना नाबार्ड सहित किसी वित्तिय संस्था या किसी अन्य एजेन्सी को प्रकट कर सकता है। यदि इसके साथ दिये गये समूह से संबंधित कोई भी सूचना गलत पाई जाती है और/अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बैंक से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने से स्वयं सहायता समूह को अयोग्य करार दे सकता है और /अथवा इस आवेदन के तहत स्वीकृत सम्पूर्ण ऋण राशि या उसके किसी भी भाग को वापस माँग सकता है।

वित्तीय विवरण (दिनाँक .... की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपये)
1.	समूह के बचत खाते में शेष राशि	
2.	प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा राशि	
3.	सदस्यों को कुल बचत में से वितरित ऋण राशि	
4.	सदस्यों को दिये गये ऋण पर ब्याज की राशि	
5.	समूह की बचत पर बैंक से प्राप्त ब्याज राशि	
6.	समूह को प्राप्त अनुदान, रिवाल्विंग फंड, जमा राशि इत्यादि की राशि (यदि समूह के बचत खाते में सम्मिलित नहीं है तो अलग से सम्मिलित कर, गणना की जानी चाहीए)	
7.	समूह का कुल 'बचत कॉरपस'	

हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि ऊपर दिये गये सभी विवरण हमारी सर्वोच्चतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

भवदीय,

(प्राधिकृत प्रतिनिधि)

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर / अंगूठा निशान
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....

(करारनामे के रुप में स्टाम्प पेपर पर किया जाए)

समूह को वित्त प्रदान करते समय बैंकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले करार की शर्तों का फॉर्मेट

यह करारनामा सन् .... के .... माह .... दिन को मैसर्स. .... (स्वयं सहायतासमूह का नाम) एक गैर पंजीकृत समूह, जिसका कार्यालय .... में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री / श्रीमती .... (नाम) .... (पदनाम) और श्री / श्रीमती .... (नाम) .... (पदनाम) श्री / श्रीमती .... (नाम) .... (पदनाम), ने किया, जो स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों द्वारा पूर्णरुपेण अधिकृत है। (इस प्रकार के प्राधिकरण–पत्र की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है और वह इस करार का एक भाग है जिसे इसमें आगे "ऋणकर्ता" कहा गया है" उसके विषय या विषयवस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना न हो, का अर्थ है और उसमें तत्समय पंजीकृत / गैर पंजीकृत समूह के सदस्य, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी वारिस, प्रशासक और समनुदेशित शामिल

हैं एक पक्ष और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट 1955 के अंतर्गत स्थापित भारतीय स्टेट बैंक (बैंक का नाम) एवं कार्पोरेट निकाय/मुम्बई तथा जिसका प्रधान कार्यलय, नई दिल्ली और साथ ही साथ जिसकी एक शाखा .... में है, जिसे इसमें आगे "बैंक" कहा गया है उसके विषय या विषयवस्तु में जब कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना ना हो, का अर्थ और उसमें उत्तराधिकारी और समनुदेशित है, दूसरे पक्ष के द्वारा के बीच .... में (वर्ष) .... के .... दिन यह करार दिया गया। यथा ऋणकर्ता लोगों की एक गैर–पंजीकृत संस्था है, जो अपने सदस्यों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को विकसित करने और सुधारने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह के रुप में एक दूसरे को परस्पर सहयोग देने के लिये सहमत हुए हैं यथा स्वयं सहायता समूह के रुप में बनाने पर ऋणकर्ताओं ने दिनांक .... के संकल्प (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसरण में ऋण लेने के लिए विधिवत प्राधिकृत उक्त श्री/श्रीमती ....(नाम) .... (पदनाम) श्री/श्रीमती .... (नाम) .... (पदनाम) द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार बैंक से अनुरोध किया है कि वह रुपये .... (रुपये .... मात्र) तक की सीमा तक ऋण सुविधा प्रदान करें जिसमें से वह अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करेंगे। और यथा बैंक ऋणकर्ता को कुछ शर्तों पर ऋण प्रदान करने/ऋण सुविधा प्रदान करने के लिये सहमत हो गया है। और यथा, बैंक और ऋणकर्ता समस्त शर्तों को लिपिबद्ध करने के इच्छुक हैं। अतः अब वह करार में निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता है :

1. बैंक रुपये .... (रुपये .... मात्र) तक मियादी ऋण/नकद साख (गैर–जमानती) सीमा के रुप में ऋण प्रदान करने और ऋणकर्ता ऋण लेने के लिये सहमत है और बैंक ने अपने बही–खाते में ऋणकर्ता के नाम दिनांक .... को साख सीमा/ओवर ड्राफ्ट/सावधि ऋण खाता संख्या .... खोला है।

2. यदि नकद साख सीमा सुविधा का उपयोग किया जाता है तो ऋणकर्ता संतोषप्रद ढंग से सीमा के अधीन नकद साख खाते पर परिचालन करेगा और ऋणकर्ता ब्याज सहित खाते में बकाया देयता और समय–समय पर नाम किये गये अन्य प्रभारों की चुकौती, माँग किये जाने पर, बिना किसी आपत्ति के करेगा।

3. यदि लिया गया ऋण माँग ऋण है, जो माँग पर ऋण वापस माँगने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणकर्ता संस्वीकृति की शर्तों में निर्धारित अवधि के भीतर ब्याज सहित ऋण और अन्य प्रभारों की चुकौती करने का वचन देता है।

4. यदि ऋणकर्ता द्वारा उपयोग की गई ऋण सुविधा मियादी ऋण है, तो उसकी चुकौती इसमें नीचे दी गई चुकौती अनुसूची में उल्लेखित ढंग से की जायेगी (उल्लेख करें) इसके अतिरिक्त, ऋणकर्ता इस प्रकार के ऋण के लिये भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

5. इसके दोनों पक्षों और उनके बीच यह स्पष्ट समझौता हुआ है कि यदि ऋणकर्ता ऋण सुविधा र राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिये करने में असफल रहता है जिस प्रयोजन के लिये बै

ऋणकर्ता को यह सुविधा प्रदान कराता है तो ऋणकर्ता अन्य कानूनी कार्यवाही करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना माँग पर ब्याज के साथ बिना किसी प्रकार की आपत्ति के तत्काल पूर्ण ऋण की चुकौती करेगा।

6. ऋणकर्ता ऋण खाते में दैनिक शेष पर गणना किये जाने वाले और उसमें मासिक / तिमाही / अर्द्धवार्षिक / तथा वार्षिक आधार पर नामे किये जाने वाले ऋणों पर या बैंक जिस तरह निर्णय करे ब्याज का भुगतान करेगा।

7. ऋणकर्ता अपने सदस्यों और उनके परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ऋण सुविधा की राशि का उपयोग करेगा।

8. ऋणकर्ता उपयोग किये गये ऋण की राशि की चुकौती, साथ ही इस प्रकार के ऋणों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड / बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली ब्याज दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।

9. ऋणकर्ता, बैंकों के नियमों के अनुसार ऋणकर्ता द्वारा बैंक को देय ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ मांग पर ऋण की राशि की चुकौती करने के लिये बाध्य होगा।

चुकौती अनुसूची (कृपया उल्लेख करें)

इसके दोनों पक्षों ने साक्ष्य स्वरुप शुरु में इसके ऊपर लिखित दिनांक .... माह .... वर्ष .... को हस्ताक्षर किये।

स्वयं सहायता समूह के लिये

1. प्राधिकृत प्रतिनिधि
2. प्राधिकृत प्रतिनिधि
3. प्राधिकृत प्रतिनिधि

कृते भारतीय स्टेट बैंक

शाखा प्रबंधक

मांग वचन पत्र

(बैंक का नाम : भारतीय स्टेट बैंक ....)

मांग किए जाने पर हम .... स्वयं सहायता समूह वचन देते हैं कि बैंक .... से ली गई ऋण की धनराशि रुपये .... (शब्दों में रुपये .... मात्र) उस पर देय .... प्रतिशत वार्षिक दर से मासिक / त्रैमासिक / अर्द्धवार्षिक ब्याज सहित भुगतान करेंगे।

स्थान : ....

दिनांक : ....

ऋण प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

1. नाम ....

पद ....

2. नाम ....

पद ....

3. नाम ....

पद ....

मांग वचन–पत्र–सह–सपुदर्गी–पत्र

रुपये ....   दिनांक : ....

मांग किए जाने पर .... भारतीय स्टेट बैंक .... अथवा आदेशित को प्राप्त मूल्य के बदले रुपये .... की धनराशि मय ब्याज आज से .... ब्याज दर .... अन्तराल के साथ अदा करने का वचन देता हूँ।

निष्पादक द्वारा अपना नाम अथवा हस्ताक्षर व उस दिन की सही तारीख लिखकर स्टाम्प निरस्त करने चाहिए अर्थात् प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर के अतिरिक्त इसकी तारीख भी दी जाए।

दिनांक : ....

स्थान : ....

भारतीय स्टेट बैंक

....

प्रिय महोदय,

कृपया इससे संलग्न दिनांक .... के मांग वचन पत्र की सुपुर्दगी लें जो रुपये .... के द्वारा .... के पक्ष में लिखा गया है।

इसके अतिरिक्त हम आपसे यह नोट करने के लिये निवेदन करते हैं कि पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1981 की धारा 98 (क) में निहितानुसार हम अनावरण की सूचना से अभिमुक्ति प्रदान करते हैं और यह कि मांग पर अदायगी नहीं होने की दशा में बैंक इसमें से किसी की, बिना किसी दूसरे को देयता से मुक्त करते हुए, अदायगी हेतु समय देने के लिये स्वतंत्र होगा।

भवदीय

....

....

References

1. A Hand Book on forming Self Help Groups (SHGs) – State Bank of India
2. Banking with Self Help Groups (How & Why?) – State Bank of India
3. State Bank of India
4. www.IDEX.org
5. http://www.sa-dhan.net/Adls/Microfinance/persectiveMicrofinance/SHGsDowel.Understand
6. www.rural.nic.in
7. Building and Strengthning of Mahila Mandals, GOR